(c) if so, what is the total number of Officers of each of the oil corporations who are staying at the same division, inspite of two or more promotions, with the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) Generally, Officers are rotated at an interval of 3 to 5 years from one station to another.

(b) and (c) Officers may be transferred from one division to another on promotion to gain wider experience. However, in the case of certain specified functions and specialised groups, longer tenure at a particular division is allowed in the interests of the companies.

Development of Technology for Petroleum Products by Indian Institute of Petroleum

8021. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) what are the names and details of petroleum products for which technologies have been developed by Indian Institute of Petroleum, Dehradun, which could be commercialised by small sector;

(b) whether the products referred in part (a) above have since been commercialised; if so, what are the details thereof, product-wise with approximate project cost individually;

(c) what are the names and the details of products which are yet to be commercialised and could be implemented/commercialised by small sector; and

(d) what is the project demand of the above mentioned products and their future scope product-wise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मध्य प्रदेश में खंडवा और अन्य जिलों में तेल के कुओं की खुदाई

8022. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के खंडवा और अन्य जिलों में तेल के कुओं की खुदाई जारी रखने तथा नये स्थानों पर खुदाई आरम्भ करने के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में कोई वेधन नहीं किया गया है । शहडोल जिले में टिहकी–1 नामक कूप का फिलहाल वेधन किया जा रहा है । वेधन योग्य संभावनाओं की पहचान के लिए दमोह तथा शहडोल जिले में फिलहाल भूकंपी सर्वेक्षण भी किये जा रहे हैं । छिंदवाड़ा जिले में अनहोनी–1 नामक स्थान, शहडोल जिले में महुआर–1 नामक स्थान तथा दमोह जिले में दमोह–1 नामक स्थान मध्य प्रदेश में वेधन के लिए उपलब्ध हैं ।

Charging of security money for cylinde issued on special occasions

8023. SHRI O. P. KOHLI: Will t Minister of PETROLEUM AND N TURAL GAS be pleased to state:

(a) whether the Indian Oil Corpor tion permits the issue of LPG cylinde

to the people on marriage ceremonies etc.

(b) if so, what is the procedure followed in this behalf;

(c) whether heavy amount of security money is charged per cylinder than the usual amount charged in case of loss of a cylinder;

(d) if so, the reasons therefor and the details of corrective steps taken; and

(e) the amount charged towards security of cylinders on marriages and in the event of the cylinders being lost by consumers.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) and (b) Yes, Sir. Indian Oil Corporation parasuits the issue of additional LPG cylinders to the existing consumers for the purpose of marriage in their family on their written request enclosing marriage invitation cards. However, for religious, political and sports functions, LPG cylinders are released by Indian Oil Corporation with the approval from the Government.

(c) and (d) Domestic LPG cylinders of 14.2 Kgs. are supplied to the consumers under normal domestic supplies against a security of Rs. 450. A tariff cost of Rs. 850 is recovered from the consumer for replacement of cylinder due to theft/loss on the basis of police report. In other cases, not supported by police report, penal rate of Rs. 1500/- per cylinder is recovered, to prevent malpractices and diversions of domestic LPG.

(e) In the case of issue of 19 kg. cylinders for marriages, etc., a security amount of Rs. 2000 as applicable for commercial purposes is charged. In the event of loss of such cylinders, a sum of Rs. 2500 per cylinder is recovered from the consumers.

एल०पी०जी० की डिलरशिप और कनेक्शनों के आवंटन के संबंध में सांसदों के पत्र

8024. श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एल०पी०जी० की डिलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप और कनेक्शनों के आवंटन के संबंध में सांसदों द्वारा भेजे गए पत्रों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस मामले पर सांसदों द्वारा उन्हें कितने पत्र लिखे गये हैं ; और

(घ) 31 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत/अस्वीकृत मामलों की स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा). : (क) से (घ) पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप तथा डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के संबंध में संसद सदस्यों तथा अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्रत्येक वर्ष में बड़ी संख्या में पत्र तथा सिफारिशें प्राप्त होती हैं । अनुकम्पा आधार पर सरकार की स्वविवेक शक्तियों के अधीन आवंटन करते समय संसद सदस्यों तथा अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सिफारिशें सहित प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है । सांसदों की सिफारिशों के आधार पर संस्तुत मामलों का कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता है । सामान्यतः तौर पर डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप का चयन तेल चयन बोर्डों द्वारा किया जाता है। ये बोर्ड उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायधीश की अध्यक्षता में गठित शक्ति-प्राप्त निकाय हैं तथा दो अन्य सुविख्यात व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं जो ये चयन, उनके समक्ष प्रस्तुत होने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर करते हैं ।

संसद सदस्यों को प्रायमिकता वाले एल पी जी कनेक्शनों के लिए अपना कोटा दिया गया है तथा प्राथमिकता वाउचर